न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1285–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 17–02–14 पारित नायब तहसीलदार, सीहोर प्रकरण कमांक 05/अ–12/2013–14.

भगतसिंह राठौर आ. दीनदयाल राठौर
निवासी ग्राम शेरपुर, तहसील व
जिला सीहोर, म0प्र0 ------ आवेदक
विरूध्द

हरीश त्यागी आ. प्रेमनारायण त्यागी
निवासी ग्राम शास्त्राखेडी, तह0 हुजूर
जिला भोपाल, म0प्र0 ------ अनावेदक

श्री सुनील बगवैया, अभिभाषक – आवेदक
श्री एन0एस0 ठाकुर, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 01- अक्टूबर 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, सीहोर के प्रकरण कमांक 05/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–02–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक हरीश त्यागी ने संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार व्दारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन हेतु आदेशित किया। आवेदक व्दारा आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार ने आपत्तिकर्त्ता का अस्थाई निषेधाज्ञा का

आवेदन निरस्त होने से अपने आदेश दिनांक 17-02-2014 व्दारा राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, फील्ड बुक आदि की पुष्टि की है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष व्दारा प्रकरण में उठाये गये मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक ने निगरानी में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बंध में पूर्व में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे तहसील न्यायालय व्दारा शासकीय भूमि प्रभावित होने से निरस्त किया गया, इसलिये पुनः सीमांकन करना विधि विरूध्द है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि सीमांकन के पूर्व आवेदक को सूचना नहीं दी गयी और ना ही मौके पर विधिवत सीमांकन किया गया। आवेदक का तर्क है कि धारा 250 के प्रकरण में आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर सीमांकन आदेश दिनांक 17-02-14 एवं 30-06-14 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक व्दारा पंजीयत विक्रयपत्र व्दारा खरीदी गयी है और वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है। अनावेदक व्दारा अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक व्दारा आवेदक को विधिवत सूचनापत्र देने के बाद भूमि का सीमांकन किया है और सीमांकन प्रतिवेदन मय फील्ड बुक के तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17-02-14 व्दारा की गयी है। उनका तर्क है कि नायब तहसीलदार व्दारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर आदेश दिनांक 30-06-14 पारित करने के पूर्व दिया गया है, किन्तु उसके व्दारा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी। उनका यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-06-14 संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित किया गया है और अंतिम प्रकृति का है, इसलिये नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-06-14 पर निगरानी में विचार कर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5 / नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 05 / अ--12 / 13—14 के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अनावेदक हरीश त्यागी द्वारा किश्तबन्दी खतौनी वर्ष 2011—12 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 116 / 3 / 1 रकबा 0.490 हे. का हरीश त्यागी पुत्र प्रेमनारायण भूमिस्वामी दर्ज है। अभिलिखित भूमिस्वामी को अपने भूमि का सीमांकन कराने की अधिकारिता है। अनावेदक के आवेदनपत्र के आधार पर तहसील न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से कराया गया है। पंचनामें में मौके पर आवेदक भगतसिंह व्दारा सीमांकन का विरोध करने पर पुलिस बल की मदद से सीमांकन करने का उल्लेख है तथा सूचनापत्र पर भी 'नोटिस लेने से इन्कार' की टीप अंकित है। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवेदक के पीठ--पीछे किया गया। राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन प्रतिवेदन के साथ क्षेत्र पुस्तिका, नजरी नक्शा तथा पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन की पुष्टि नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17--02 14 व्दारा की है। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि के 0.250 हे. पर पश्चिम दिशा की ओर पड़ोसी कृषक भगतसिंह का अवैध कब्जा होना प्रतिवेदित किया है, यह कब्जा किस प्रकार आवेदक भगतसिंह के स्वामित्व की भूमि का ही है, इस संबंध में कोई भी सन्तोषजनक तर्क प्रगाण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी दशा में नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 05 / अ--12 / 13--14 में पारित आदेश दिनांक 17 -02—14 में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6 / आवेदक व्दारा नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 06 / अ—70 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 17--02—2014 के विरूध्द निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है। नायब तहसीलदार का प्रकरण कमांक 06 / अ--70 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 30--06—14 अंतिम प्रकृति का होने से अपील योग्य है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवायी का प्रथम

दृष्टया पूर्ण अवसर प्रदत्त किया गया है. इसलिये प्रकरण क0 26 / अ--70 / 13--14 के संबंध में प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 17--02--2014 यथावत रखा जाता है।

(एच0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,